<table>
<tr>
<td>तारीख हुक्म</td>
<td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
घनश्याम बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार, लूणी)

सू.अ.अ. अपील संख्या : 30/2022</td>
<td>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td>
</tr>
<tr>
<td>22-03.2022</td>
<td>अपीलार्थी घनश्याम पुत्र श्रीराम निवासी प्लॉट न. 05, पूर्वी आरती नगर, पाल गांव, जिला जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 03.01.2022 में उसके द्वारा (1) राजस्थान में पहले जमाबन्दी में जमीन बीघा में दर्ज होती थी, आजकल हैक्टेयर में दर्ज है। अतः 1 हैक्टेयर में कितने बीघा होते है और 1 बीघा में कितने हैक्टेयर होते है (2) राजस्व ग्राम डेलुम्बा झंवर, तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा न. 1453 पर जो कटान रास्ता चल रहा है, उस रास्ते की नक्शें में चौड़ाई कितने फीट है एवं अन्य बिन्दू से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई [illegible] से 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने [illegible] से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो।
आदेश सुनाया गया।</td>
<td></td>
</tr>
</table>

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.10 17:17:49 IST
Reason: SelfAttested